न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

223RTA2021-77Ju2021-29 Mohanram Vs Chanana Ram etc

मोहनराम पुत्र श्री पन्नाराम जाति सुथार, निवासी- इस्लाम नगर, चांचलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट.....

ब

ना

म

1. चनणा राम पुत्र डूँगरराम
2. प्रेमा राम पुत्र डूँगरराम
3. जेठा राम पुत्र डूँगरराम
4. रुकमो देवी पत्नी डूँगरराम
5. धन्ना राम पुत्र देवाराम
6. अणदाराम पुत्र रेवतराम
7. चन्द्राराम पुत्र रेवतराम
8. धुड़ीदेवी पत्नी रेवतराम
9. बाबुलाल पुत्र देवाराम
10. लक्ष्मणराम पुत्र हस्तीराम
11. भँवराराम पुत्र हस्तीराम
12. गोकुलराम पुत्र हस्तीराम
13. अणची पत्नी हस्तीराम
14. सोहनलाल पुत्र गोविंदराम
15. अनोपाराम पुत्र गोविंदराम
16. मथुरादेवी पत्नी गोविंदराम
17. चैनाराम पुत्र माणकराम
18. पेपाराम पुत्र माणकराम
19. अंतरादेवी पत्नी माणकराम,
    सभी जातियान् सुथार, निवासीगण- इस्लाम-नगर, चांचलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
20. भूमिधारी तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान केम्प उटाम्बर, दिनांक 14 जनवरी 1983 मौजा चांचलवा, तहसील शेरगढ

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री रोशन लाल, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1,2,4 से 9,11,13 से 16
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 20

नि र्ण य

दिनांक : 14 दिसंबर 2022

अपीलाण्ट्स ने प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान केम्प उटाम्बर, दिनांक 14 जनवरी 1983 मौजा चांचलवा, तहसील शेरगढ के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 02 मार्च 2021 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुई देरी को माफ किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र बाबत डिक्री पर्चा डिस्पेन्सवीथ कर अपील की सुनवाई करने बाबत पेश किया।

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 247 रकबा 24 बीघा, खसरा नं. 250 रकबा 100 बीघा 16 बिस्वा वक्त सेटलमेंट अपीलांट के पिता पनिया वल्द मगा के नाम रही तथा भू-प्रबंध विभाग द्वारा अपीलांट के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी किया गया तथा प्रथम जमाबंदी संवतः 2012 से 2015 उनके नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुई। संवतः 2027 में अपीलांट के पिता पनीया का देहांत हो जाने पर उसका नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। तत्पश्चात संवतः 2036 से 2039 में अपीलांट की उपरोक्त भूमि अपीलांट की खातेदारी के साथ-साथ रेस्पोडेंटगण के पूर्व पुरुष देवाराम, गोविंदराम, माणकराम पि. मगाराम के नाम उपरोक्त आदेश प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान केम्प उटाम्बर द्वारा दिनांक 14.01.1983 को दर्ज कर दी गई, जिसके विरुद्ध आलोच्य अपील प्रस्तुत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय का आदेश विधि विरुद्ध एवं वाक्याती मिसल के विरुद्ध होने के कारण काबिल निरस्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट मोहनराम पुत्र पनीया की खातेदारी भूमि जो अपीलांट की स्वअर्जित भूमि थी, जिसका पट्टा अपीलांट के पिता के नाम कब्जा काश्त के आधार पर वक्त सेटलमेंट पर्चा लगान अपीलांट के पिता के नाम जारी हुआ, जिस पर किसी अन्य का कोई कब्जा काश्त नही था, तत्पश्चात वक्त सेटलमेंट वर्ष 2012 में टिनेंसी एक्ट प्रभाव में आने के वक्त अपीलांट के पिता पनीया के कब्जे काश्त के आधार पर जागीरदारी भूमि का अपीलांट के पिता के नाम खातेदारी में इन्द्राज किया गया। इस कारण इस भूमि का एक मात्र मालिक अपीलांट के पिता पनीया ही थे एवं उनके देहांत संवतः 2027 के पश्चात उक्त भूमि अपीलांट की खातेदारी में दर्ज हो गई। तत्पश्चात उपरोक्त आदेश दिनांक 14.01.1983 तक उक्त भूमि अपीलांट की खातेदारी में रही जो अपीलांट के पिता से प्राप्त हुई, जिसमें रेस्पोडेंटगण के पूर्व पुरुष देवाराम, गोविन्दराम, माणकराम का कोई लेना देना नहीं था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलांट की भूमि खसरा नं. 247 रकबा 24 बीघा के स्थान पर उक्त आदेश में खसरा नं. 248 रकबा 24 बीघा व खसरा नं. 250 रकबा 100 बीघा 16 बिस्वा भूमि में अपीलांट के साथ-साथ रेस्पोडेंटगण के पूर्व पुरुष देवाराम, गोविंदराम, माणकराम पिता मगाराम के नाम दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया, जिसका अधीनस्थ न्यायालय को कोई कानूनी अधिकार नहीं था, न ही अपीलांट ने उक्त प्रार्थना पत्र पर अपने कोई हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान किया था, उक्त सारी कार्यवाही रेस्पोडेंटगण द्वारा हल्का पटवारी से मिलकर फर्जी तरीके से अपीलांट से बाले-बाले की गई है। हल्का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पटवारी द्वारा रिपोर्ट यह की गई कि देवाराम, गोविन्द व माणक तीनो सगे भाई है, इनका शामिल कब्जा काश्त है। इस रिपोर्ट के आधार पर नाम दर्ज करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी रूप से नहीं था, न ही अपीलांट की स्वअर्जित भूमि में रेस्पोडेंटगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा देवाराम, गोविंद, माणक को सरासर झूठा अपीलांट का सगा भाई होना बताया है, जबकि उक्त तीनों ही अपीलांट के पिता पनीया के पुत्र नहीं होकर मगाराम के पुत्र थे एवं अपीलांट के काका लगते थे जो न तो पनीया के वारियान् थे न ही पनीया की स्वअर्जित सम्पति में उनका कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न होता था। पनीया के एक मात्र उत्तराधिकारी अपीलांट ही था, जिनके नाम पनीया की खातेदारी भूमि दर्ज की जा चुकी थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 14.01.1983 से रेस्पोडेंटगण के पूर्व पुरुष देवाराम, गोविंद, माणक के नाम दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। खसरा नं. 247 रकबा 24 बीघा भूमि का इस आदेश में खसरा नं. 248 रकबा 24 बीघा का आदेश जारी अपीलांट की खातेदारी भूमि को रेस्पोडेंटगण के पूर्व पुरुष देवाराम, गोविन्द, माणक के नाम सरासर गलत दर्ज किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड़ में हल्का पटवारी द्वारा म्युटेशन संख्या 155 जिसे बाद में कॉट-छॉट कर म्यूटेशन संख्या 158 में अपीलांट की ग्राम चांचलवा की खातेदारी भूमि खसरा नं. 247 रकबा 24 बीघा को खसरा नं. 248 में बदलकर नामांतरकरण रेस्पोडेंट संख्या 20 द्वारा सरासर गलत इन्द्राज के आधार पर स्वीकृत कर भारी कानूनी भूल की है। इसी प्रकार खसरा नं. 250 रकबा 100 बीघा 16 बिस्वा ग्राम चांचलवा की भूमि में न तो देवाराम, माणक व गोविंद पिता मगा अपीलांट के पिता पनीया के उत्तराधिकारी थे न ही इनका कोई उक्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट से पूर्व या वक्त सेटलमेंट के पश्चात आज दिनांक तक खसरा नं. 247 व खसरा नं. 250

राजस्व अपील प्राधिकारी

की भूमि पर कोई कब्जा व काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कब्जे की जॉच किये किसी रेकर्ड का अवलोकन किये बिना ही दिनांक 14.01.1983 का शून्य आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.01.1983 के आदेश में नामांतरकरण संख्या 155 के अनुसार रेकर्ड में दुरुस्ती की गई का आदेश सरासर गलत अंकन किया गया है, जबकि नामांतरकरण संख्या 155 में किसी भी प्रकार की दुरुस्ती नहीं की गई थी एवं अपीलांट की भूमि का म्यूटेशन सरासर गलत व विधि विरुद्ध म्यूटेशन संख्या 158 स्वीकृत किया गया था, जिसमें राजस्व अभियान केम्प के आदेश दिनांक 14.01.1983 के अनुसार देवाराम, गोविन्द, माणक के नाम दर्ज किये गए, जबकि इस भूमि पर न तो इनका कोई कब्जा था, न ही कोई कानूनी अधिकार प्राप्त था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही अपीलांट की कोई सुनवाई की गई। अपीलांट परिवार सहित मुम्बई में रहता था, उक्त आदेश पर अपीलांट का कोई हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान नहीं है। अपीलांट पढा-लिखा है एवं हस्ताक्षर करता है, जबकि उक्त आदेश की इबारत पर अपीलांट के अंगुष्ठ निशान सरासर गलत इन्द्राज की गई है, जबकि अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई अंगुष्ठ निशान नहीं किया गया। इस कारण न तो अपीलांट ने अपनी भूमि रेस्पोडेंटगण के पूर्वपुरुष देवाराम, गोविंद, माणक के नाम दर्ज करने की सहमति दी एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट के खातेदारी भूमि को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड़ में रेस्पोडेंट संख्या 20 द्वारा नामांतरकरण संख्या 158 स्वीकृत कर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.01.1983 में उप सरपंच व पटवारी रिपोर्ट के आधार पर नाम दर्ज

डिक्री पर्चा जारी नहीं किया गया। अतः डिक्री पर्चा डिस्पेंशवीथ किया जाने का आदेश फरमावे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.01.1983 की जानकारी दिनांक 20.02.2021 को हल्का पटवारी द्वारा मिलने पर दी गई, जिस पर प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की दिनांक 24.02.2021 को नकल लेने पर प्रभारी अधिकारी केम्प उटाम्बर की संपूर्ण जानकारी हुई। प्रार्थी ने जमाबंदी दावे के वक्त ली गई, परन्तु प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान केम्प उटाम्बर का आदेश प्रार्थी को भू-अभिलेख कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर में उक्त आदेश मिला ही नहीं तब प्रार्थी ने जमाबंदी के आधार पर वाद प्रस्तुत किया एवं पटवारी से सम्पर्क किया तो पटवारी द्वारा दिनांक 20.02.2021 को बताया गया कि प्रभारी अधिकारी का रेकर्ड तहसील शेरगढ के रेकर्ड में है, जिस पर प्रार्थी ने शेरगढ तहसील के रेकर्ड रूम तलाशने पर दिनांक 24.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.01.1983 प्राप्त हुआ, जिसकी प्रमाणित प्रति ली जाकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी होते ही तत्काल अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश शून्य आदेश है, जिस पर म्याद पर आपत्ति नहीं की जाकर ऐसे आदेश को मैरिट पर निर्णित करने का आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय नजीरों में प्रतिपादित किया है। प्रार्थी द्वारा जानबूझ कर अपील पेश करने में देरी नहीं की, प्रार्थी कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमायी जावे तथा गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान केम्प उटाम्बर, दिनांक 14 जनवरी 1983 एवं उक्त आदेश की पालना में स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 158 व उसके पश्चात स्वीकृत

सभी नामांतरकरण को निरस्त किया जाकर खसरा नं. 247 रकबा 24 बीघा एवं खसरा नं. 250 रकबा 100 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम इस्लाम नगर से रेस्पोडेंटगण का नाम हटाकर अपीलांटगण के नाम खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान केम्प कोर्ट उटाम्बर के समक्ष उभय पक्ष की सहमति से पारित किया गया है, जिस पर अपीलांट स्वयं के भी अंगुष्ठ निशान है। अपीलाधीन आदेश के साथ में डिक्री पर्चा जारी नहीं किया गया है। ऐसे में हस्तगत अपील धारा 223 के तहत पोषणीय नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(3) के मुतातिबक पक्षकारान् की सहमति से कोई आदेश हुआ है तो उसकी अपील होगी। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित होने के लगभगः 38 साल बाद अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा उक्त विलंब का कोई विधिसम्मत कारण स्पष्ट नहीं किया है। वकील रेस्पोडेंट ने यह भी जाहिर किया कि वर्तमान में अपीलाधीन वादग्रस्त भूमि एवं अन्य भूमियों के संबंध में दावा प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट्स को हैरान व परेशान करने की नियत से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट्स प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण में तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत डिक्री पर्चा डिस्पेंशवीथ कर अपील की सुनवाई करने बाबत् के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक मामले में विचारण

न्यायालय द्वारा डिक्री पर्चा जारी नहीं किया गया है, जिहाजा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकनं मुताबिक अपीलाधीन आदेश अपीलांट मोहनराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नाम दर्ज करने बाबत के आधार पर उभय पक्ष की सहमति एवं सरपंच एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया जाना पाया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया जाना तथा उस अपीलांट मोहनराम के अंगुष्ठ निशान उपलब्ध है। अपीलांट द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश पारित होने के 38 वर्ष बीत जाने के पश्चात आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई है, जिसका कोई संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम खारिज किया जाकर अपील अपीलांट म्याद बाधित होने से खारिज की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर